2 ईरान युद्ध में ट्रंप की हुई भारी किरकिरी

5 समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं सम्राट चौधरी

7 अंधाधुंध शहरीकरण है ग्लोबल वार्मिंग का अनदेखा इंजन

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 51 प्रति सोमवार, 27 अप्रैल 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

वेदांता पॉवर प्लांट में हादसे से गरमाई सियासत

ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर पर बड़ा सवाल: क्या प्रबंधन के बजाए चैयरमेन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ के वेदांता पॉवर प्लांट में हादसे के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दर्ज एफआईआर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी बड़े कॉर्पोरेट समूह के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होना अपने आप में असामान्य घटना मानी जाती है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्याफ प्रबंधन के बजाए चैयरमेन को जिम्मेमदार ठहराया जा सकता है? यहां पर उद्योग विभाग के मंत्री लखनलाल देवांगन भी सवालों के घेरे में हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनी के स्थानीय प्रबंधन या साइट से जुड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन चेयरमैन तक जवाबदेही तय करना यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियां अब "टॉप-डाउन" जिम्मेदारी तय करने के दृष्टिकोण

को अपनाने लगी हैं। इसका मतलब है कि केवल निचले स्तर पर नहीं, बल्कि नीतिगत और प्रबंधन स्तर पर भी लापरवाही की जांच होगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल का नाम देश के सबसे दानदाताओं में शुमार है। हाल ही के महीनों में उन्होंने भारतीय मुद्रा में करीब 21 हजार करोड़ रुपये दान कर दिये थे। बताया जाता है कि अपने एकलौते बेटे की मौत के गमगीन उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे की हिस्से की लगभग 75 प्रतिशत संपत्ति परोपकार के लिये दान कर दी। इस संपत्ति का उपयोग शैक्षणिक कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में किया जायेगा। लेकिन अब दान से ज्यादा चर्चा अनिल अग्रवाल के गैर इरादतन हत्या के उस प्रकरण को लेकर हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले के डबरा थाने में पंजीबद्ध किया गया है। इस एफआईआर के अलावा वेदांता थर्मल पॉवर प्रोजेक्टो में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई। औद्योगिक हादसों को कंपनी के भागीदारों और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हेना आम बात है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ विकास की नई राह पर....

उद्योग-श्रम समन्वय से बदल रहा छत्तीसगढ़, साय सरकार का विकास मॉडल बना मिसाल

-विजया पाठक

विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज विकास के एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है, जहां उद्योग और श्रम दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर समावेशी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। राज्य सरकार की स्पष्ट और दूरदर्शी नीतियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि विकास की धुरी में श्रमिकों और उद्यमों को समान महत्व दिया जाए, तो आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन के रूप में दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री साय की सोच में श्रमिक केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला हैं। यही कारण है कि राज्य की नीतियों में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

विकास की असली नींव

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाएं आज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन चुकी हैं। श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना एक दूरगामी और क्रांतिकारी पहल है। इससे न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुल रहे हैं। यह पहल दर्शाती है कि सरकार केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। (शेष पेज 3 पर)

किसानों के अधिकार पर सत्ता की चुप्पी

500 टन गेहूँ जब्ती मामले में विधायक विष्णु खत्री पर उठे जवाबदेही के सवाल

-विजया पाठक

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। विष्णु खत्री, जो कि बैरसिया से विधायक हैं, इन दिनों कथित रूप से एक विवाद के केंद्र में हैं। आरोप यह हैं कि उन्होंने किसानों से जुड़े एक मामले में ऐसी कार्रवाई की, जिसने अन्नदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि आरोप इतने गंभीर हैं, तो अब तक न तो कोई स्पष्ट कानूनी कार्रवाई हुई और न ही पार्टी स्तर पर कोई ठोस कदम दिखाई दिया। स्थानीय स्तर पर सामने आई चर्चाओं और कुछ सामाजिक-राजनीतिक समूहों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, विधायक विष्णु खत्री पर यह आरोप है कि उन्होंने लगभग 500 टन से अधिक गेहूँ जब्त किया। जिसकी कीमत दो करोड़ से अधिक आंकी गई है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि यह कार्रवाई उन किसानों के हितों के खिलाफ थी, जिनकी उपज पर उनका वैध अधिकार था। इस घटनाक्रम को "अन्नदाता के अधिकारों पर हस्तक्षेप" के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या आधिकारिक जांच की स्थिति सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।

अन्नदाताओं के गुनहगार विष्णु खत्री

प्रदेश की मोहन सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष सरकार किसानों के हितों में फैसला लेगी और उनके कल्याण की योजनाएं बनायेगी तथा उनपर अमल करेगी। वहीं उनके ही पार्टी के एक विधायक विष्णु खत्री किसानों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। (शेष पेज 3 पर)

'वास्तविक युद्ध' को निर्णायक रूप से नहीं जीता अमेरिका

ईरान-अमेरिका युद्ध में ट्रंप की हुई भारी किरकिरी

-विजया पाठक

अमेरिका के लिए एक बात कही जाती है कि वह विश्व में अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके लिए भले ही उसे मानवता का खून ही क्यों न बहाना पड़े। अमेरिका के सभी युद्ध यही प्रदर्शित करते हैं कि उसने खास कारण से नहीं किये बल्कि अपने हितों को साधने और अपने मकसद पूरे करने के लिए अनेकों देशों को युद्ध में धकेला है। अमेरिका का युद्ध इतिहास यह दर्शाता है कि उसका उद्देश्य शायद ही कभी निर्णायक जीत रहा हो, बल्कि इसका मुख्य ध्यान अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने पर रहा है। अमेरिकी हथियार उद्योग इन युद्धों के माध्यम से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है, जबकि आम जनता और सैनिक इन लड़ाइयों की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। जब तक 'सैन्य-औद्योगिक परिसर' अमेरिकी नीति को प्रभावित करता रहेगा, तब तक दुनिया भर में युद्ध और हथियार बिक्री का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। यह भी सच है कि 1945 के बाद अमेरिका ने किसी भी 'वास्तविक युद्ध' को निर्णायक रूप से नहीं जीता है। सभी युद्धों को जबरदस्ती थोपा गया है। वह चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो। हालियां ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में भी यही हाल है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण की आड़ में ईरान पर जो हमला बोला और वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई को मौत के घाट उतार दिया उसे क्या जायज ठहराया जा सकता है। सही मायने में तो यह युद्ध इजराइल और ईरान के बीच था लेकिन अमेरिका इसमें जबरदस्ती कूदा। इस युद्ध के कारण पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा और सभी देशों पर जो प्रभाव पड़ा उसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। यदि अमेरिका साथ नहीं देता तो निश्चित ही इजराइल, ईरान पर हमला नहीं करता।

अमेरिका पर लगाना चाहिए विश्व को अंकुश

आखिर विश्व पर अमेरिका की दादागिरी कब तक चलती रहेगी। विश्व के तमाम देशों को अमेरिका की मनमानी पर अंकुश लगाना चाहिए। एक ओर जहां अमेरिका किसी भी देश पर पाबंदी लगा देता है और अपने इशारे पर नचाता रहता है वहीं जब अमेरिका अपनी मनमर्जी चलाता है तो उस पर कोई देश कार्यवाही ही नहीं करता है। यह भेदभावपूर्ण रवैया आखिर कब तक चलेगा। आखिर अमेरिका के भी दायरे होने चाहिए।

अमेरिकी नीतिः युद्ध से मुनाफा और हथियार बिक्री का व्यापार

आधुनिक वैश्विक राजनीति में अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में अमेरिका ने कई बड़े युद्धों और सैन्य अभियानों में भाग लिया है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अमेरिका युद्ध जीतने के बजाय उन्हें लंबा खींचता है ताकि उसका हथियार उद्योग फल-फूल सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को

वैश्विक पुलिसकर्मी के रूप में स्थापित किया है। अमेरिका ने वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक दर्जनों सैन्य हस्तक्षेप किए हैं। हालांकि, इन हस्तक्षेपों की एक कड़ी समीक्षा करने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध जीतता है, या युद्ध केवल हथियार बेचने और मुनाफा कमाने का एक जरिया है? अमेरिका अक्सर सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने सहयोगियों को हथियार बेचकर या सैन्य सहायता देकर अपने हितों की रक्षा करता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रक्षा बजट और हथियार निर्यात पर निर्भर है। युद्ध केवल विदेशी नीति नहीं, बल्कि एक 'बिजनेस मॉडल' बन गया है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, तो अमेरिकी हथियारों की मांग बढ़ जाती है। इराक और लीबिया जैसे देशों पर हमले अक्सर उन सरकारों को हटाने के लिए हुए जो अमेरिकी डॉलर के बजाय किसी अन्य मुद्रा में तेल बेचने की कोशिश कर रही थीं।

युद्ध का इतिहासः जीत बनाम हार

वियतनाम युद्ध (1955-1975): अमेरिका ने वर्षों तक लड़ने के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया, जिसे एक बड़ी हार माना जाता है।

अफगानिस्तान युद्ध (2001-2021): 20 साल के खर्चीले युद्ध के बाद, अमेरिकी सेना वापस लौट आई और तालिबान ने फिर से सत्ता हथिया ली। यह युद्ध हथियार उद्योग के लिए एक 'अंतहीन खजाना' बना रहा।

इराक युद्ध (2003-2011): सामूहिक विनाश के हथियारों के दावों के साथ शुरू हुआ युद्ध, बाद में तेल संसाधनों पर नियंत्रण और डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लड़े गए युद्ध के रूप में देखा गया।

इजराइल-ईरान-अमेरिका युद्ध (2026): इजराइल-ईरान-अमेरिका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। केवल अस्थाई रूप से स्थगित हुआ है। इस युद्ध में भी ईरान को अमेरिका हरा नहीं पाया है। एक हिसाब से देखा जाये तो ईरान हमेशा अमेरिका पर भारी पड़ा और अमेरिका को ही युद्ध विराम के लिए आगे आना पड़ा।

व्यापार रणनीतिः युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो चुके हथियारों को 'परीक्षित और प्रभावी' बताकर दुनिया भर के देशों को बेचा जाता है। मध्य पूर्व और यूक्रेन के संघर्षों में अमेरिकी हथियारों की भारी खपत और बिक्री ने इसे हथियार बाजार का राजा बना दिया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, जो वैश्विक हथियारों के व्यापार का लगभग 37-40% हिस्सा रखता है। हथियार उद्योग अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है।

इन संघर्षों में सैन्य ताकत के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करना कठिन साबित हुआ। अमेरिका के युद्धों के पीछे कई कारण रहे अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बनाए रखना और आर्थिक हित। यह सही है कि युद्धों के दौरान हथियारों की मांग बढ़ती है, जिससे रक्षा कंपनियों को लाभ होता है। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नाजी जर्मनी और जापान को पराजित किया। इसी तरह खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। कुछ युद्ध ऐसे रहे हैं जहां अमेरिका को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वियतनाम युद्ध इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह अफगानिस्तान युद्ध में भी 20 साल के बाद तालिबान की वापसी ने अमेरिका की रणनीति पर सवाल खड़े किए।

वेदांता पॉवर प्लांट में हादसे से गरमाई सियासत

(पेज 1 का शेष)

लेकिन चेयरमेन के खिलाफ बगैर प्राथमिक जांच पूरी हुई एफआरआई दर्ज करने का मामला गर्माया हुआ है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उद्योगपति अनिल अग्रवाल के खिलाफ दर्ज प्रकरण के किसी उद्योग प्रतिबद्धता प्रतिस्पर्धा और राजनीति मिली जुली मुहिम है। उद्योगपति नवीन जिंदल ने अनिल अग्रवाल के खिलाफ बगैर प्राथमिक जांच पूरी हुये एफआईर दर्ज करने पर आपत्ति जाहिर की है। उधर अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईर दर्ज होते ही शेयर बाजार में हलचल तेज है। वेदांता समूह के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। हादसे में 23 कर्मियों की मौत हो चुकी है। जबकि दर्जन भर से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। केन्द्र और राज्य सरकार ने हादसे पर दुख जताते हुये पीडितों के लिये मुआवजे का ऐलान भी किया है।

राज्य के औद्योगिक इलाकों में कारखानों और फैक्टिरियों में हादसों में तेजी है। बताया जाता है कि विगत 03 वर्षों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले की संख्यां 300 पार हो चुकी है। ऐसे में श्रमिकों के बढ़ते जोखिम को लेकर सरकार भी सकते में है। दावा किया जा रहा है कि औद्योगिक सुरक्षा इंड्स्टियल एक्ट जैसे संपत्ति के जुड़े ज्या दातर विभाग के बीच ना तो तालमेल है और न ही अपने कार्यों के प्रति सक्रियता। नतीजतन औद्योगिक इलाकों में दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। यही नही जांच पड़ताल करने वाले सबसे बड़े सरकारी अधिकारी सिर्फ कागजी खनापूर्ति में जोर देते हैं। ऐसे में औद्योगिक सुरक्षा का मसला सिर्फ सरकार तक सीमित हो गया है। औद्योगिक घटनाओं दुर्घटनाओं को टालने में टॉक्स फोर्स भी नाकामयाब साबित हुआ है।

केवल प्रबंधन नहीं उद्योग विभाग भी हादसे का जिम्मेदार

वेदांता हादसे ने केवल कंपनी की कार्यप्रणाली ही नहीं, बल्कि उद्योग विभाग की भूमिका और उसकी संभावित लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होती है कि औद्योगिक इकाइयां सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करें। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण, लाइसेंसिंग और अनुपालन की जांच की जाती है। यदि वेदांता जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में हादसा होता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग द्वारा नियमित और प्रभावी निरीक्षण किया गया था। यदि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया था, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही का संकेत है। भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मुद्दा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार उद्योग विभाग और कंपनियों के बीच सांठगांठ के आरोप सामने आते हैं, जिसके कारण नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

कई बड़े हादसों के बादे भी सुरक्षा के मापदण्डों से समझौता

छत्तीसगढ़ में कई बड़े हादसों के बादे भी सुरक्षा के मापदण्डोंह से समझौता किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यों की प्रणाली पर प्रश्नचिंह लग रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। हादसों के बाद हाथ पैर मारते सरकारी अफसरों को देखकर जनता उनकी जिम्मेछदारी भी तय करने और ऐसे लापरवाह अधिकारियों को आरोपी बनाने की मांग कर रही है। कई घटनाऐं हुई हैं लेकिन एक घटना के आरोपी की खानापूर्ति की बजाय पुलिस कंपनी के भागीदारों और अन्यट पदाधिकारियों में मामले पंजीबद्ध किये थे लेकिन वेदांता पॉवर प्रोजेक्ट के घटना सीधे तौर पर चेयरमेन अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है।

कई पहलुओं पर गौर करने की जरूरत

पहला महत्वपूर्ण पहलू श्रमिक सुरक्षा का है। औद्योगिक हादसों में अक्सर यह पाया जाता है कि सुरक्षा मानकों का पालन या तो अधूरा होता है या कागजों तक सीमित रहता है। दूसरा, यह कदम निवेशकों और बाजार पर भी प्रभाव डाल सकता है। किसी बड़ी कंपनी के शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी कार्रवाई से निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। वे यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि कंपनी के भीतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। तीसरा पहलू राजनीतिक और प्रशासनिक है।

विकसित गांवों से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। डबल इंजन की हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में गांवों के समग्र विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का विकास होगा और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत प्रतिनिधि के रूप में की थी तथा पंच और सरपंच के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास को लेकर जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वही आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आज हजारों जनप्रतिनिधि पंचायत से अपना सफर शुरू कर देश के उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और जमीनी स्तर पर बेहतर कार्य करने से ही प्रभावी नीतियां बनती हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं अब ग्रामीणों के लिए सहज हो गई हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महिलाओं के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं और इनसे महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायतों में संचालित सभी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सभी विकास कार्य पूर्ण हो सकें। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन में पंचायतों की जिम्मेदारी बड़ी है और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने में पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगी और सभी प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की अपील की। सम्मेलन को सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने भी संबोधित किया।

500 टन गेहूँ जब्ती मामले में विधायक विष्णु खत्री पर उठे जवाबदेही के सवाल

(पेज 1 का शेष)

किसानों की उपज के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हजारों किसानों की आय पर डाका डाला है। अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाले खत्री को कम से कम किसानों को तो छोड़ देना चाहिए था। इसके साथ ही प्रदेश की सत्ता और संगठन को भी ऐसे किसान विरोधी विधायक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एक मिसाल पेश करनी चाहिए।

किसानों के अधिकार बनाम प्रशासनिक कार्रवाई

कृषि प्रधान राज्य जैसे मध्य प्रदेश में किसानों के अधिकार हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी जनप्रतिनिधि पर किसानों की उपज को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो यह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया के तहत भी अनाज जब्ती जैसी कार्रवाई होती है जैसे समर्थन मूल्य, भंडारण नियम या अवैध व्यापार की रोकथाम के मामलों में।लेकिन यदि ऐसी कार्रवाई में पारदर्शिता न हो, तो सवाल उठना तय है।

पार्टी की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है पार्टी की प्रतिक्रिया। आरोपों के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, कम से कम व्यापक स्तर पर। विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पार्टी अपने ही नेता के मामले में नरम रुख अपना रही है। उनका कहना है कि यदि यही आरोप किसी विपक्षी नेता पर होते, तो प्रतिक्रिया अलग हो सकती थी। हालांकि, यह भी संभव है कि पार्टी आंतरिक स्तर पर मामले की समीक्षा कर रही हो, जिसकी जानकारी सार्वजनिक न की गई हो। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विधायक विष्णु खत्री के खिलाफ किसी ठोस कानूनी कार्रवाई की पुष्टि सार्वजनिक रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई के लिए ठोस साक्ष्य, शिकायत और जांच आवश्यक होती है। केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई करना संभव नहीं होता, लेकिन यदि शिकायत दर्ज होती है, तो जांच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

जनभावनाओं को प्रभावित करते हैं यह विषय

यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए, ऐसे मुद्दे जनभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष के लिए यह एक अवसर बन सकता है, जहां वह सरकार और सत्ताधारी दल की जवाबदेही पर सवाल उठा सके। वहीं, सत्ताधारी पक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पारदर्शिता बनाए रखे और यदि जरूरत हो तो स्थिति स्पष्ट करे।

सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जनता की अपेक्षा। किसान, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, वे यह चाहते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा हो और किसी भी प्रकार की कार्रवाई निष्पक्ष व पारदर्शी हो। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जनता यह भी अपेक्षा करती है कि संबंधित पक्ष चाहे वह प्रशासन हो या राजनीतिक दल स्पष्ट और जिम्मेदार प्रतिक्रिया दें। विधायक विष्णु खत्री से जुड़े इस कथित प्रकरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्या वास्तव में किसानों के अधिकारों का हनन हुआ? क्या यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था? और सबसे अहम, यदि आरोप गंभीर हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं। जब तक आधिकारिक जांच या ठोस तथ्य सामने नहीं आते, तब तक यह मामला आरोपों और प्रतिक्रियाओं के बीच ही बना रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस तरह के मुद्दे लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित करते हैं।

उद्योग-श्रम समन्वय से बदल रहा छत्तीसगढ़, साय सरकार का विकास मॉडल बना मिसाल

(पेज 1 का शेष)

इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति श्रमिक वर्ग में आत्मविश्वास जगाने का कार्य कर रही है और यह संदेश दे रही है कि मेहनत और प्रतिभा का सम्मान हर परिस्थिति में संभव है।

आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में ठोस प्रयास

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी है। पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये सीधे हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचा है। प्रतिदिन हजारों श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना इस बात का प्रमाण है कि शासन की मंशा और क्रियान्वयन दोनों ही मजबूत हैं। आवास सहायता, दुर्घटना सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं श्रमिकों के जीवन को स्थायित्व प्रदान कर रही हैं। विशेष रूप से कम लागत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं एक संवेदनशील शासन का परिचायक हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को समझता है और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाता है।

औद्योगिक विकास नई पहचान की ओर

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। नई औद्योगिक नीति (2024-30) के माध्यम से राज्य ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल की है। इस नीति में समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों का आना, नए उद्योगों की स्थापना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन ये सभी संकेत हैं कि छत्तीसगढ़ तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यह विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक संरचना को भी सुदृढ़ बना रहा है।

तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ते कदम

छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। नवा रायपुर में एआई आधारित डाटा सेंटर की स्थापना, सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में निवेश, तथा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन—ये सभी पहलें राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि राज्य सरकार केवल वर्तमान की जरूरतों को ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। इससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

पारदर्शी प्रशासन और निवेशकों का बढ़ता विश्वास

प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ई-निविदा प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम ने न केवल पारदर्शिता बढ़ाई है, बल्कि निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया है। इससे राज्य में व्यापार करना आसान हुआ है और निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। आज छत्तीसगढ़ निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है, जिसका सीधा लाभ रोजगार और आर्थिक विकास के रूप में दिखाई दे रहा है। यह सब मुख्यमंत्री साय की उस नीति का परिणाम है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

सामाजिक समावेशन विकास का मूल मंत्र

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास केवल कुछ क्षेत्रों या वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं और दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजनाएं ये सभी प्रयास सामाजिक समावेशन को मजबूत कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों की स्थापना की दिशा में भी अग्रसर है।

नेतृत्व की प्रभावशीलता और दूरदर्शिता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व इस पूरे परिवर्तन का केंद्र है। उनकी नीतियों में स्पष्टता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि नेतृत्व में प्रतिबद्धता और जनसेवा का भाव हो, तो विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह दिखाया है कि उद्योग और श्रम के बीच संतुलन स्थापित कर कैसे एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। उनका दृष्टिकोण केवल विकास नहीं, बल्कि "संतुलित और समग्र विकास" पर आधारित है। आज छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है, जहां विकास की धारा समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है। उद्योग और श्रम विभाग के आपसी समन्वय ने इस परिवर्तन को गति दी है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व ने इसे दिशा और स्थायित्व प्रदान किया है।

यह विकास मॉडल न केवल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सही नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन और संवेदनशील नेतृत्व के माध्यम से एक राज्य को प्रगति, समृद्धि और समान अवसरों की ओर अग्रसर किया जा सकता है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

सम्पादकीय

पार्टी नेताओं की बयानबाजी और धूमिल होती छवि

मध्यप्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में जिस प्रकार बयानबाजी का स्तर गिरता नजर आ रहा है, उसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की छवि पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। "सुशासन", "संस्कार" और "मर्यादा" जैसे शब्दों को अपनी वैचारिक पहचान बनाने वाली पार्टी के कुछ नेताओं के बयान अब उसी छवि को धूमिल करते दिख रहे हैं। यह केवल राजनीतिक विरोध का मुद्दा नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और सार्वजनिक आचरण का प्रश्न भी है। लोकतंत्र में विचारों की असहमति स्वाभाविक है, लेकिन भाषा की मर्यादा और संवाद की गरिमा बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता सार्वजनिक मंचों से उत्तेजक, असंवेदनशील या विवादास्पद बयान देते हैं, तो उसका प्रभाव केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के व्यापक वर्ग पर पड़ता है। इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है और राजनीति के प्रति लोगों का भरोसा भी कमजोर होता है।

भाजपा ने वर्षों तक अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए अनुशासन और वैचारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया है। पार्टी की पहचान ही इस बात से जुड़ी रही है कि उसके कार्यकर्ता "संस्कारित" और "मर्यादित" भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाल के घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि जमीनी स्तर पर इन मूल्यों का पालन उतनी सख्ती से नहीं हो रहा, जितनी अपेक्षा की जाती है। सवाल यह है कि क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की चूक है या फिर संगठनात्मक अनुशासन में कहीं न कहीं ढील आई है? राजनीति में शब्दों का महत्व अत्यंत गहरा होता है। एक बयान जनभावनाओं को प्रभावित कर सकता है, माहौल को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। लेकिन जब बयानबाजी व्यक्तिगत आक्षेप, कटाक्ष और उत्तेजना का माध्यम बन जाए, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बन जाता है।

इस तरह की बेलगाम बयानबाजी का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि विकास और जनकल्याण जैसे मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा करती है कि वे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा करें। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श केवल आरोप-प्रत्यारोप और विवादित बयानों तक सीमित हो जाता है, तो असल मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहां भाजपा लंबे समय से सत्ता में रही है, वहां पार्टी की छवि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के साथ-साथ उसके नेताओं का आचरण भी जनता के विश्वास को प्रभावित करता है। यदि नेताओं के बयान बार-बार विवाद का कारण बनते हैं, तो यह सरकार की सकारात्मक पहल को भी ढक देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी बयान कुछ ही मिनटों में व्यापक रूप से फैल जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले विवादित बयान पार्टी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे संयम और विवेक का परिचय दें। पार्टी नेतृत्व के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस स्थिति को कैसे संभालता है। केवल बयान जारी कर या हल्की-फुल्की कार्रवाई कर इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर स्पष्ट संदेश देना होगा कि मर्यादा और अनुशासन से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आवश्यक हो, तो कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही, नेताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवाद की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि वे बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के अनुरूप अपनी भाषा और व्यवहार को संतुलित रख सकें। यह केवल पार्टी की छवि सुधारने का प्रयास नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

सियासी गहमागहमी

खुल रही भाजपा नेताओं की निगम-मंडलों की किस्मत

यह पंक्ति मध्यप्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हलचल को सटीक रूप में व्यक्त करती है। लंबे समय से प्रतीक्षित निगम-मंडल नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में अब सक्रियता तेज होती दिख रही है। संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों के माध्यम से जिम्मेदारी और अवसर दोनों दिए जा रहे हैं। निगम-मंडल केवल पद नहीं होते, बल्कि शासन की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी होते हैं। ऐसे में योग्य और सक्रिय चेहरों को इन पदों पर स्थान देना सरकार और संगठन दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि, इन नियुक्तियों के साथ संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक समन्वय बना रहे। दूसरी ओर, यह भी देखा जा रहा है कि कई दावेदार अभी भी प्रतीक्षा में हैं, जिससे आंतरिक असंतोष की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है कि वह पारदर्शिता और संतुलन के साथ इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दे। यदि यह प्रक्रिया संतुलित और न्यायसंगत रही, तो यह संगठन को मजबूती देगी, अन्यथा असंतोष राजनीतिक चुनौती का रूप भी ले सकता है।

कमलनाथ को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

यह संकेत केवल एक राजनीतिक नियुक्ति का नहीं, बल्कि अनुभव और नेतृत्व को नई भूमिका देने की संभावना का प्रतीक है। कमलनाथ लंबे समय से सक्रिय राजनीति में एक सशक्त और अनुभवी चेहरा रहे हैं। उनके पास संगठनात्मक पकड़, प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर की समझ का वह संतुलन है, जो राज्यसभा जैसे मंच के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति कांग्रेस को एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज दे सकती है। वे केंद्र की नीतियों पर गंभीरता से पक्ष रखने के साथ-साथ मध्यप्रदेश के मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा सकते हैं। खास बात यह है कि वे विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में संतुलन बनाकर चलने की क्षमता रखते हैं, जो आज की राजनीति में बेहद जरूरी गुण माना जाता है। इसके अलावा, कमलनाथ को यह जिम्मेदारी देना कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से भी लाभकारी हो सकता है। इससे न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को उचित स्थान मिलेगा, बल्कि संगठन में एकजुटता का संदेश भी जाएगा। कुल मिलाकर, यह निर्णय कांग्रेस के लिए अनुभव और रणनीति दोनों स्तरों पर एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप घटनी की चुनाव बाद TMC से जुड़े गुंडो द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ।
पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना - यही TMC का चरित्र बन चुका है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

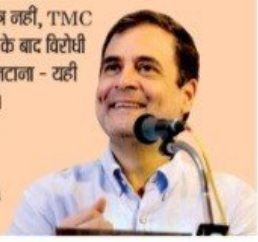

मध्य प्रदेश में "कृषक कल्याण वर्ष" चल रहा है या "कृषक उत्पीड़न वर्ष"?

प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्ष 2026 को "कृषक कल्याण वर्ष" घोषित किया है, लेकिन सचाई यह है कि वह हर काम किसानों के खिलाफ ही करती है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं सम्राट चौधरी

समता पाठक/जगत प्रवाह

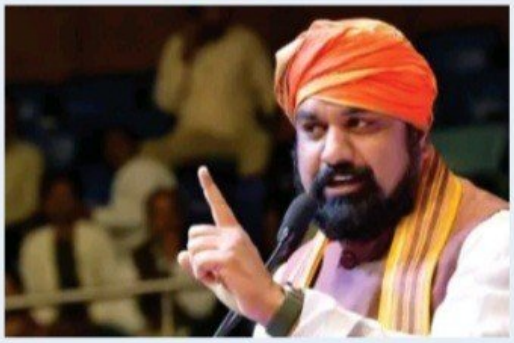

सम्राट चौधरी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर से उठकर प्रदेश की सत्ता तक का सफर तय किया। उनका जीवन संघर्ष, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और राजनीतिक अनुभव का जीवंत उदाहरण है। सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी राज्य की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि ने सम्राट चौधरी को प्रारंभ से ही राजनीति के वातावरण से परिचित कराया, जिससे उनमें जनसेवा की भावना विकसित हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से जुड़कर अपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने छात्र आंदोलनों और युवा संगठनों से की। युवावस्था में ही वे संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय हो गए और आम जनता की समस्याओं को समझने लगे। उनकी कार्यशैली में जुझारूपन और स्पष्टवादिता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। धीरे-धीरे उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई और जनता के बीच एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने विभिन्न दलों के साथ कार्य करते हुए अपने अनुभव को समृद्ध किया, लेकिन अंततः उनकी राजनीतिक पहचान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मजबूत हुई। भाजपा में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और संगठन के प्रति निष्ठा के कारण उन्हें पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

बिहार की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया और वे एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हुए। अपने राजनीतिक कौशल और रणनीतिक समझ के बल पर उन्होंने पार्टी को नई दिशा देने का कार्य किया। उनकी नेतृत्व क्षमता का परिणाम यह रहा कि वे राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गए और अंततः बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने विकास, सुशासन और जनकल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनका मानना है कि बिहार की प्रगति तभी संभव है जब विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार के लिए कई पहलें शुरू कीं। उनके नेतृत्व में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अवसर सृजित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

सम्राट चौधरी की कार्यशैली की एक विशेषता यह है कि वे जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। वे नियमित रूप से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि वे आम लोगों के बीच एक सुलभ और सक्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व सादगी और दृढ़ता का संगम है। वे अपने निर्णयों में स्पष्टता रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हैं। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार अपने संकल्प और मेहनत के बल पर आगे बढ़े। सम्राट चौधरी का जीवन यह संदेश देता है कि यदि व्यक्ति में समर्पण और संघर्ष की क्षमता हो, तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ही किसी भी नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। आज सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके नेतृत्व से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। उनका जीवन परिचय न केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी एक उदाहरण है, जो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सांसद आलोक शर्मा, रेलमंत्री ने शीघ्र प्रस्तावित मांग को पूरा करने का दिया आश्वासन

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने सीहोरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। शर्मा ने सीहोर रेलवे स्टेशन पर इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22191/22192) के ठहराव की बहुप्रतीक्षित मांग प्रमुखता से रखी। सांसद शर्मा ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया कि सीहोर जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुबेरेश्वर धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष अवसरों और पर्व-त्योहारों के दौरान यहां भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इसके बावजूद सीहोर

रेलवे स्टेशन पर सीमित ट्रेनों के ठहराव के कारण श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर में स्टापेज देने से स्थानीय नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगी। साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि इस ट्रेन का ठहराव मिलने से इंदौर, भोपाल, सीहोर और जबलपुर के बीच आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही व्यापार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे।

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद आलोक शर्मा को आश्वासन दिया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। सीहोरवासियों ने बहुप्रतीक्षित मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए सांसद शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया है।

एम्स भोपाल की डॉ. मोहिनी बिंदा को राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल निरंतर चिकित्सा अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी क्रम में एनाटॉमी विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉ. मोहिनी बिंदा को सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉ. मोहिनी बिंदा को यह सम्मान उनके शोध कार्य के लिए मिला, जो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित मरीजों में होने वाले हिप फ्रैक्चर के आनुवंशिक पहलुओं पर आधारित है। यह शोध इस बात को समझने में महत्वपूर्ण है कि किन आनुवंशिक कारणों से हड्डियां कमजोर होती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। यह शोध कार्य डॉ. प्रशांत के मार्गदर्शन में किया गया। इस अध्ययन से भविष्य में हड्डियों से संबंधित बीमारियों की समय पर पहचान, रोकथाम और बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अधिक देखने को मिलती है, ऐसे में यह शोध उनके स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर बड़ा सवालः डॉक्टर गायब, दवाइयां नदारद, मरीज बेहाल

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के शासकीय सिविल अस्पतालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं, तो कहीं मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां तक नहीं मिल रहीं। गरीब और जरूरतमंद मरीज उचित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि अस्पतालों के बाहर मेडिकल स्टोर और निजी एंबुलेंस संचालकों का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। आरोप हैं कि कई शासकीय डॉक्टर अपनी निजी क्लीनिकों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती जा रही है। गाडरवारा शासकीय सिविल अस्पताल में दो वर्ष पूर्व तैयार हुआ ICU एवं अन्य वार्ड आज भी उद्घाटन और संचालन की प्रतीक्षा में जर्जर होने की कगार पर खड़ा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिश्रा पर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत में निष्पक्ष और निस्वार्थ छवि के दावे किए गए, लेकिन अब तक न दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी, न अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कोई ठोस सुधार दिखाई दिया। जनता पूछ रही है जब अस्पताल हैं, भवन हैं, बजट है, तो फिर इलाज क्यों नहीं? आखिर कब तक मरीज व्यवस्था की लापरवाही का शिकार बनते रहेंगे?

मतदान में आई क्रांति

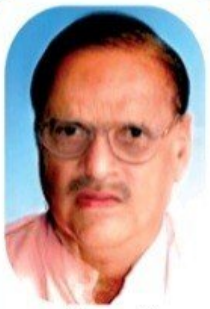

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए बढ़-चढ़कर मतदान ने इतिहास रच दिया है। इसे 'वोट क्रांति' कह सकते है। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले चरण में 92.54 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 84.95 प्रतिशत मतदान ने पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29 प्रतिशत था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बंगाल में 9.02 प्रतिशत अधिक मतदान रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आजादी के बाद हुए निर्वाचन के इतिहास में किसी भी राज्य एवं केंद्र शासित राज्य में इतना मतदान पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले रिकॉर्ड पुडुचेरी में 9 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनाव का मतदान 89.87 प्रतिशत रहा है। इस मतदान में पूर्वानुमान लगाने वाले टीवी चैनलों को भी संशय में डाल दिया है। इस बड़े मतदान को बंगाल में भाजपा के पक्ष में माना जा रहा है। बहरहाल, परिणाम जो भी आएं, इस मतदान से परिपक्व संवैधानिक भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दिखाई देती है।

हालांकि जिस तरह का माहौल है, उससे तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को अपनी सभाओं में बड़ा मुद्दा बनाया और हिंदुत्व की लहर फैलाकर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करने में वे सफल रहे। कांग्रेस की स्थिति इस राज्य में इसलिए खराब होती रही है, क्योंकि वह बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों को षरण देने की पैरवी करती रही है। इसीलिए कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एसआईआर का भी विरोध किया। भाजपा ने चुनाव के लिए जो रचनात्मक तैयारी की, उसके चलते निश्पक्ष और निडर मतदान का माहौल पूरे प्रदेश में बना। अतएव दूसरे राज्यों में रह रहे मतदाता बड़ी संख्या में वापिस लौटे और मतदान किया। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर पहुंचने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक रही। मुस्लिम मतदाताओं ने भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत और केरल से आकर बड़ी संख्या में वोट डाले। एसआईआर की प्रक्रिया के चलते मतदाताओं में यह धारणा बनी कि मतदान नहीं करने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है। इस कारण नागरिकता भी गंवानी पड़ सकती है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बार-बार उछाला। तृणमूल यहां मोदी और शाह के आक्रामक चुनाव प्रचार के आगे अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रही है। अंतिम सांसे गिन रहे कांग्रेस और वाममोर्चा का प्रयास रहा है कि अपने-अपने पारंपरिक और छिटक चुके मतदाताओं तक पहुंच बनाकर वोट डलवा लें। गोया, इस बार सभी राजनीतिक दल पूरे समय अधिकतम मतदान के लिए सक्रिय रहे। इसी का नतीजा रहा कि

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव

रिकॉर्ड मतदान ईवीएम में कैद हो गया। यह मतदान उस गहरी राजनीतिक हलचल और विभाजित सामाजिक चेतना के संकेत हैं, जो इस बार के चुनाव को असाधारण बना रही हैं। यह रिकॉर्ड इसलिए भी बना, क्योंकि एसआईआर के चलते 91 लाख वोट हटाए गए हैं। ग्रामीण महिलाएं समूहों के रूप में मतदान के लिए आईं।

इसी तरह तमिलनाडु में भी पहली बार मतदाताओं ने बड़े तापमान के बीच भारी मतदान किया। यहां सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ है। तमिलनाडु के 5.73 करोड़ मतदाताओं ने 84.69 प्रतिशत मतदान करके इतिहास रच दिया है। इसके पहले सर्वाधिक 78.12 प्रतिशत मतदान 2011 में हुआ था। तब एआईए-डीएमके की मुखिया रहीं जयललिता ने डीएमके को करारी शिकस्त देकर सत्ता के गलियारे से बाहर कर दिया था। यहां एसआईआर प्रक्रिया के जरिए 74 लाख मतदाता बाहर हुए हैं। अंतिम शाह इस बढ़े मतदान को टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाने का आधार बता रहे हैं। हालांकि यहां अन्नाद्रमुक और द्रमुक के बीच कड़ा मुकाबला है। बहरहाल, ऊंट किस करवट बैठता हैं, यह तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा।

बावजूद बड़े मत-प्रतिशत का सबसे अह्म, सुखद व सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर रहा है। फिलहाल हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मेरी सोच के मुताबिक ज्यादा मतदान की जो बड़ी खूबी है, वह है कि अब अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को वोट बैंक की लाचारगी से छुटकारा मिल रहा है। इससे कालांतर में राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब मतदान प्रतिशत 75 से 85 होने लगता है, तो किसी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र विशेश से जुड़े मतदाताओं की अहमियत कम हो जाती है। नतीजतन उनका संख्याबल जीत या हार की गारंटी नहीं रह जाता। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नगण्य हो जाती है। कालांतर में यह स्थिति मतदाता को धन व षराब के लालच से भी मुक्त कर देगी। क्योंकि कोई प्रत्याशी छोटे मतदाता समूहों को तो लालच का चुग्गा डालकर बरगला सकता है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से बड़े समूहों को लुभाना मुश्किल होता है? बावजूद इन चुनावों में जातीय और अल्पसंख्यक राजनीति सभी दलों की कार्यशैली में खुले रूप में दिखाई दी है। साफ है, जातीय कुचक्र का धरातल नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से बनाए रखने के उपाय किए जा रहे हैं।

बढ़ा हुआ यह मतदान विशुद्ध रूप से मतदाता की मनस्थिति से उपजा प्रतिशत है, क्योंकि अब मतदाता इन वास्तविकताओं को समझने लगा है कि घुसपैठिए उनके बुनियादी संसाधनों को हथियाने के साथ धर्मांतरण के हथकंडे भी अपना रहे हैं। इसलिए वह चिंतित होकर मतदान के लिए घर से निकल गया तो मतदान-यज्ञ में अपने मत की आहूति देकर ही लौटा। ज्यादातर चुनावों में कुलीन मतदाता इसलिए मतदान नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वे मौसम की मार झेलने में स्वयं को समर्थ नहीं पाते हैं, दूसरे वे अपनी बड़ी हैसियत का ख्याल रखते हुए लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान से बचते हैं। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में हुए मतदान से पता चलता है कि इस बार कुलीन मतदाताओं ने भी चुनावी यज्ञ में मतदान की आहुतियां दी हैं। अन्यथा मतदान का प्रतिशत इतना ऊंचा नहीं पहुंचता। यह स्थिति मतदाता में बढ़ती राजनीतिक चेतना का प्रतीक भी है। वैसे भी लोकतंत्र की असली ताकत नागरिकों की अधिकतम भागीदारी में निहित है। बावजूद भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है, कि अंत तक कोई भी चुनावी विश्लेषक और चुनावी सर्वे एजेंसियां परिणाम से पूर्व हार-जीत का अनुमान लगाकर परिणामों के शत-प्रतिशत सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की वित्त और आंतरिक संसाधन विभागों की समीक्षा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त एवं आंतरिक संसाधन विभागों की समीक्षा बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति को 'अच्छी' बताते हुए इसे और बेहतर बनाने के लिए राजस्व संग्रहण बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और संसाधनों के सदुपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग का लक्ष्य एवं उसके अनुपात में किये गये राजस्व संग्रहण तथा अन्य उपलब्धि आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की

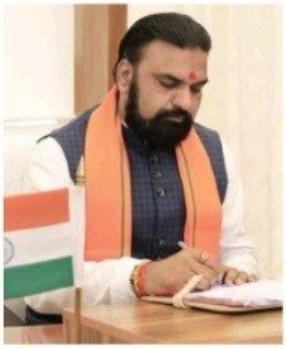

वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिए सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें। राजस्व संग्रहण और संवर्द्धन को लेकर नवाचार करें और नई संभावनाओं को तलाशें. सभी विभागों में वित्तीय अनुशासन जरूरी है, इसे लेकर अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। संसाधनों का सदुपयोग जरूरी है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसे ससमय पूर्ण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आकार काफी बढ़ा है। राज्य में विकास के काफी काम किये जा रहे हैं। लोगों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक सुहर्ष भगत, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सरस्वती शिशु मंदिर टिमरनी की टीम प्रांत स्तर पर विजेता रही

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। विद्या भारती द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताएँ इस वर्ष नवीन सत्र के प्रारंभ में ही संपन्न की जा रही हैं। इसी क्रम में भारत भारती बैतूल में आयोजित प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता के तरुण वर्ग की कबड्डी स्पर्धा में सरस्वती शिशु मंदिर टिमरनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम की इस उल्लेखनीय सफलता पर विद्यालय समिति के अध्यक्ष डॉ. विवेक भुस्कुटे, सचिव आनंद मजूमदार, सह-व्यवस्थापक डॉ. राहुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष समर्थ जैन एवं प्राचार्य बसंत पटेल सहित समस्त विद्यालय परिवार ने खिलाड़ियों एवं उनके कोच को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। विद्यालय की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष का वातावरण है।

अंधाधुंध शहरीकरण है ग्लोबल वार्मिंग का अनदेखा इंजन

कल्पना कीजिए, विशाल शहरों के कंक्रीट जंगलों में छिपा एक अदृश्य ज्वालामुखी, जो धीरे-धीरे पृथ्वी को निगल रहा है। अंधाधुंध शहरीकरण ग्लोबल वार्मिंग का वह अनदेखा इंजन है, जो हमारी आँखों के सामने ही फूट रहा है, बिना किसी चेतावनी के। हर नई इमारत, हर चौड़ी सड़क और हर जलमग्न प्लाजा ग्रीनहाउस गैसों का गोला-बारूद बनाती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत के शहरों में बढ़ते कंक्रीट ने पिछले दशक में कार्बन उत्सर्जन को दोगुना कर दिया है? अब समय आ गया है कि हम इस छिपे खतरे को पहचानें, वरना शहरों की चमक हमें ही जला डालेगी।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

तेजी से शहरीकरण के कारण पीने का पानी, बिजली, नदियों पर प्रदूषण का भार बढ़ गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रथम श्रेणी के शहरों और द्वितीय श्रेणी के कस्बों से प्रति दिन लगभग 38254 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज उत्पादन के अनुमान के मुकाबले उपलब्ध उपचार क्षमता 11787 है। ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक के अध्ययन के मुताबिक 2017 से लेकर 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले शीर्ष दस शहर भारत के होंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शहरीकरण अस्त व्यस्त है। प्रदूषित नदियां, तालाबों, झीलें , नाले, गंदी बस्तियों का विस्तार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो शहरीकरण की वास्तविक स्थिति को बयां करते नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत की आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब की विश्व की आबादी का 68 फीसदी हिस्सा शहरों में होगा। दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में है जो शहरों के बाहर उत्पादित भोजन और वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा उपभोग करती है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि, वायु गुणवत्ता की समस्याओं का मुख्य कारकों में से एक है। वर्ष 2016 में 31 मेगा शहरों की आबादी कम से कम 10 मिलियन थी, जिनमें से 8 की आबादी 20 मिलियन से अधिक थी। हालांकि द्वितीयक शहर छोटे से मध्यम आकार के शहर (500,000 से 10 लाख) की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरीकरण में से कुछ है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में योगदान दे रहे हैं। यह शहरीकरण ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन में प्रमुख योगदान दे रहे हैं। उच्च घनत्व और शहरी ताप द्वीप प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे वायु प्रदुषण, पानी की कमी और गर्मी की बिमारी जैसी मौजूदा समस्या बढ़ाएगी।

शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं विकास और निर्माण परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाता है। नगरीय स्वयायतशासी संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शीर्ष संस्था नगर निगम कहलाती है। सामान्यतः बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है जिससे बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल निकाय व्यवस्था, नालियां, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा रख रखाव, पार्क, खेल के मैदान, आदि निर्माण कार्यों को सुचारू संचालन हो सके। वैश्वीकरण के बाद नगरीय विकास की एक आवश्यक शर्त बन कर उभरा है। लेकिन नगरों के आसमान विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश और नगरीय संस्कृति में उत्पन्न होते तनाव नगरीय विकास की पुनर्समीक्षा के लिए बाध्य करते हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ती नगरीय जनसंख्या की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से प्रबंध करने के लिए कई कदम उठाए गए लेकिन विकास में अगर राजनीति शामिल हो जाता है तो विकास का कोई भी मॉडल सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। नगर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं क्योंकि हरित क्षेत्र को नगर के विकास के लिए समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ने अनेक नगरों को चुनौती दी है। अगर हमने शहरों को व्यवस्थित और जनसंख्या पर काबू नही किया तो हालात और गम्भीर हो जाएगा। ऐसे में अब सोचने का नही बल्कि करने का समय आ चुका है।

26 अप्रैलः विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर विशेष

कॉपी-पेस्ट के शॉर्टकट में खोती बौद्धिक क्षमता

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

आज के दौर में अगर कोई सबसे सस्ती चीज हो गई है, तो वह है 'विचार'। और शायद सबसे महंगी भी क्योंकि इस शोर भरे डिजिटल युग में अपने मौलिक विचार बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक क्लिक, एक कमांड और एक सर्च पलक झपकते ही जवाब हाजिर है। न गहन चिंतन की आवश्यकता, न पन्नों को पलटने की मशक्कत। बस पूछिए और तैयार सामग्री आपके सामने है। लेकिन इस तकनीकी सहजता के महासागर के बीच एक गंभीर प्रश्न किनारे पर खड़ा है। क्या हम इस सुगमता के बदले अपनी मौलिकता की बलि चढ़ा रहे हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां केवल 'डेटा प्रोसेस' करना सीख रही हैं, 'सोचना' नहीं?

क्या है यह दिवस और क्यों है जरूरी?

हर साल 26 अप्रैल को दुनिया भर में 'विश्व बौद्धिक संपदा दिवस' मनाया जाता है। वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य केवल पेटेंट या कॉपीराइट के कानूनी पहलुओं को समझाना नहीं है, बल्कि समाज को यह बताना है कि एक मनुष्य की 'मस्तिष्क की उपज' भी उतनी ही कीमती संपत्ति है, जितनी कि उसकी जमीन या सोना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 'विचार' केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि अधिकार भी हैं। आज हम जिस तकनीक, औषधि या संगीत का आनंद ले रहे हैं, वह किसी के अटूट परिश्रम और मौलिक सोच का परिणाम है।

अनुभव बनाम एल्गोरिदमः जब मस्तिष्क ही कार्यशाला था। मुझे याद आते हैं अपने कॉलेज के दिन, पुलिस सेवा का वह दौर और प्रशासनिक समन्वय की वे जटिल चुनौतियां, जहाँ किसी डेटा या रिपोर्ट को तैयार करने में हम अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता झोंक देते थे। तब हमारे पास 'सर्च इंजन' नहीं, बल्कि 'स्वयं का विवेक' और 'अनुभवों का संग्रह' होता था। एक-एक कार्य योजना बनाने के लिए दिमाग की परतों को खंगालना पड़ता था, जिससे न केवल एक अनोखा और यूनिक विकल्प तैयार होता था, बल्कि उस प्रक्रिया में हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता का भी अभूतपूर्व विकास होता था। उस वास्तविक मेहनत से हमें पुराने अनुभव, महत्वपूर्ण डेटा और भविष्य के लिए बेहतरीन विकल्प खोजने का एक नया नजरिया मिलता था। लेकिन आज की पीढ़ी जब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे बैठकर वास्तविक मेहनत को अनदेखा करती है, तो डर लगता है कि कहीं यह 'डेटा की बैसाखी' उसे बौद्धिक रूप से 'निर्भर' न बना दे। एआई आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन वह 'अनोखापन' और 'अनुभव की खुशबू' नहीं दे सकता, जो केवल मानवीय मस्तिष्क की उपज होती है।

आज यह विषय क्यों?

2026 के इस दौर में हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ एआई (AI) हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। आज रविवार की इस शांत सुबह, जब हम अपने फोन की स्क्रीन पर दुनिया को देख रहे हैं, तब यह सोचना और भी जरूरी हो जाता है कि इसमें हमारा अपना कितना है और 'उधार' लिया हुआ कितना? हम जानकारी के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम समझ के युग में भी जी रहे हैं? आज मैं यह विषय इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं हम 'स्मार्ट' मशीनों के युग में 'सोच-शून्य' मानव न बन जाएं। जब हम खुद सोचना छोड़ देते हैं, तो हम केवल दूसरों के विचारों के उपभोक्ता बनकर रह जाते हैं। और एक समाज, जो केवल उपभोक्ता बन जाए, वह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता- नेतृत्व वही करता है, जो सृजन करता है।

पीढ़ियों का अंतर और बौद्धिक स्वतंत्रता का संकट

पुरानी पीढ़ी ने अभावों में प्रभाव पैदा किया था, उनके पास संसाधन कम थे, इसलिए मौलिकता अनिवार्य थी। लेकिन आज की पीढ़ी के पास संसाधनों की अधिकता है, जो विडंबनापूर्ण रूप से उनकी सृजनात्मकता के लिए 'बाधा' बन रही है। स्कूल के असाइनमेंट से लेकर कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन तक, 'शॉर्टकट' की संस्कृति हावी है। AI जवाब दे सकता है, लेकिन सवाल खड़ा करने की क्षमता अभी भी मनुष्य के पास है। विकसित राष्ट्र आज इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने युवाओं को केवल जानकारी रटना नहीं, बल्कि 'नवाचार' करना सिखाया है। हमें समझना होगा कि हर उत्तर का तुरंत मिल जाना 'ज्ञान' नहीं है, हर काम का जल्दी हो जाना 'सफलता' नहीं है, और हर सामग्री का तैयार मिल जाना 'रचनात्मकता' नहीं है।

सृजन का संकल्प

आज जरूरत है कि हम समाज में 'सृजन की संस्कृति' को पुनर्जीवित करें। हमें अपने बच्चों को असफल होने का साहस देना होगा, क्योंकि गलतियाँ ही मौलिकता की पहली सीढ़ी हैं। उन्हें सिखाना होगा कि खुद के द्वारा लिखा गया एक गलत पैराग्राफ, मशीन द्वारा लिखे गए एक 'परफेक्ट' पन्ने से हजार गुना बेहतर है। क्योंकि उसमें उनका अपना अस्तित्व है।

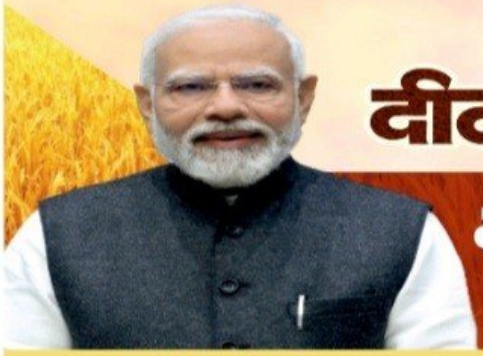

दीनदयाल उपाध्याय
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

4.95 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में
₹495.96 करोड़
आदान राशि अंतरित

- बजट 2026-27 में **₹600 करोड़** का प्रावधान
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही **₹10,000 प्रति वर्ष** की आर्थिक सहायता
- वर्ष 2025 में **5.62 लाख** से अधिक हितग्राहियों के खातों में **₹562.11 करोड़** से अधिक की राशि अंतरित
- **22,028** बैगा-गुनिया परिवारों को भी मिल रहा लाभ

साय सरकार में मेहनतकश हाथों को मिल रहा संबल, सुरक्षा और सम्मान

छत्तीसगढ़ आपका जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. : 13769/ 2

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)